

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनू (राजस्थान)  
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)

लोक अदालत बैच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

करण प्रार्थना पत्र सं. -139/2019

IO- 2019/00931

कदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

राकेश कुमार

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : 12.03.2022

“नाम दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी कुहाड़वास आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुहाड़वास गाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
कुहाड़वास	244	राकेश पुत्र गणपत	राकेश कुमार पुत्र गणपत

कांत)  
दस्य  
धेवक्ता

(सुनील कुमार चौहान)  
आर.ए.एस  
सदस्य  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

(दीपक कुमार)  
अध्यक्ष  
न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

क्रमांक :- राजस्व/2022/

दिनांक :- 12.03.2022

तिलिपि :- तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

उपखण्ड  री बुहाना